

# न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

356 / 2017

प्रविष्टि दिनांक

11.04.2017

बद्रीलाल पुत्र गोविन्दा लाल जाति ब्राह्मण निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक

..... प्रार्थीगण

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12  
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,  
परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री कृष्ण गोपाल शर्मा,अभिभाषक प्रार्थीगण

(2) श्री अजय कुमार तानेनिया,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 23.08.2023

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम पालडी तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 763 में 2700 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा बारानी-1 का निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 08.07.2010 को निरस्त कर अवाप्त शुद्ध भूमि का सिंचित भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 952/09 दिनांक 08.07.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 763 में से रकबा 2700 वर्गमीटर वाके ग्राम पालडी में अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टर द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी-1 राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। प्रार्थीगण सिंचित भूमि की दृष्टि से मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नहीं है। अधिसूचना के समय भूमि की

- 829 -



आविट्रेटर N.H.-12

(जिला कलेक्टर)

टोंक (राज.)

जो किस्म जमाबंदी में अंकित थी, उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 952/2009 दिनांक 08.07.2010 से प्रार्थी की भूमि ख०नं० 763 अवाप्त रकबा 2700 वर्गमीटर किस्म बारानी-1 का डी.एल.सी. दर से ग्राम पालडी का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। खसरा गिरदावरी सम्वंत 2065 वाके ग्राम पालडी तहसील टोंक में उक्त भूमि असिंचित दर्ज है। प्रार्थी द्वारा सिंचित भूमि का मुआवजा चाहा गया है, परन्तु इसकी तायद में अन्य कोई साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा नियमानुसार अवार्ड पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल )  
आरबीट्रेटर एन.एच.-12  
(जिला कलेक्टर)  
आरबीट्रेटर N.H.-12  
(जिला कलेक्टर)  
टोंक (राज.)